NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 26-03-2026

विषय सूची

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 20261

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक

लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक, 2026 पारित

अमेरिकी शोधकर्ता का गेहूँ को लाभकारी बनाने हेतु संकर एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GMO) तकनीक पर विश्वास

संक्षिप्त समाचार

LPG की कमी से बायोगैस का पुनरुत्थान

आव्रजन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना

PRISM-SG पोर्टल

पुनर्नवीनीकृत उड़ान योजना (UDAN) : क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुदृढ़ करना

प्रतिपदार्थ (Antimatter)

सरस्वती सम्मान 2025

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने लोकसभा में **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026** प्रस्तुत किया।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010

- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना है ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोका जा सके।
- यह अधिनियम प्रथम बार 1976 में लागू हुआ, जिसे 2010 में प्रतिस्थापित किया गया और आगे 2016, 2018 तथा 2020 में संशोधित किया गया।
- इसका प्रशासन **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किया जाता है।
- FCRA पंजीकरण 5 वर्षों के लिए मान्य होता है और इसकी अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण आवश्यक है।
- लगभग 16,000 एनजीओ FCRA के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग ₹22,000 करोड़ प्राप्त करते हैं।

2026 संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **संपत्ति प्रबंधन हेतु नामित प्राधिकरण:** विधेयक विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक **नामित प्राधिकरण** के गठन का प्रस्ताव करता है।
  - जब किसी संगठन का पंजीकरण रद्द, समर्पित, समाप्त या नवीनीकरण न किया जाए, तब यह प्राधिकरण विदेशी अंशदान और संपत्तियों का नियंत्रण स्वयं ले लेगा।
- **संपत्तियों पर सरकारी अधिकार:** यदि पंजीकरण पुनर्स्थापित नहीं होता है, तो सरकार संपत्तियों को किसी सरकारी विभाग को हस्तांतरित कर सकती है।
  - सरकार उन संपत्तियों को बेच भी सकती है, जिसकी आय भारत की संचित निधि में जमा होगी।
- **पंजीकरण का स्वतः समाप्त होना:** नई **धारा 14B** जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पंजीकरण की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण अस्वीकृत होने पर FCRA पंजीकरण स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- पंजीकरण तीन स्थितियों में स्वतः समाप्त होगा:
  - संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है।
  - नवीनीकरण आवेदन अस्वीकृत हो जाता है।
  - नवीनीकरण के बिना वैधता अवधि समाप्त हो जाती है।
- **निधियों का समयबद्ध उपयोग:** संशोधन में विदेशी निधियों की प्राप्ति और उपयोग के लिए अनिवार्य समयसीमा तय की गई है ताकि वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **निलंबन के दौरान प्रतिबंध:** निलंबित संगठन अपनी विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों को बिना सरकारी अनुमति बेचना, स्थानांतरित करना या गिरवी रखना नहीं कर सकेगा।
- किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्व सरकारी स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- **केंद्रीकृत जांच नियंत्रण:** मूल अधिनियम की **धारा 43** में संशोधन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी या राज्य सरकार को FCRA आरोपों की जांच शुरू करने से पहले केंद्र से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
- **दंड का युक्तिकरण:** संशोधन अधिनियम के उल्लंघन पर दंड की कठोरता को कम करता है।
  - अधिकतम सजा पाँच वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है, या जुर्माना, या दोनों।
- **व्यक्तिगत जवाबदेही:** "मुख्य पदाधिकारी" की परिभाषा में अब निदेशक, साझेदार, न्यासी, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कर्ता, समाज/ट्रस्ट/ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी तथा प्रबंधन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।
  - वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, जब तक वे अज्ञानता या उचित परिश्रम सिद्ध न कर दें।

- **संपत्तियों का स्थायी अधिग्रहण:** यदि कोई संगठन बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है या अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो उसकी विदेशी वित्तपोषित संपत्तियाँ नामित प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएँगी।

विदेशी अंशदान का विनियमन क्यों आवश्यक है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को विदेशी हस्तक्षेप से बचाना।
- धन शोधन और अवैध गतिविधियों में निधियों के दुरुपयोग को रोकना।
- निधियों का उपयोग केवल विकासात्मक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित करना।
- एनजीओ के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक संगठनों को विदेशी वित्तपोषण से रोकना — जिन्हें FCRA के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है।

विदेशी अंशदान विनियमन पर चिंताएँ

- **प्रशासनिक विलंब**: पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, जिससे एनजीओ की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप**: सरकार के पास पंजीकरण रद्द करने या खातों को फ्रीज़ करने की विवेकाधीन शक्ति है, जिसका दुरुपयोग आलोचनात्मक एनजीओ को निशाना बनाने में हुआ है।
- **सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा**: विदेशी अंशदान पर कठोर अनुपालन आवश्यकताएँ भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।
- **एनजीओ के भीतर पारदर्शिता की कमी**: कुछ एनजीओ स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि विदेशी निधियाँ कहाँ और कैसे व्यय की जाती हैं। केवल प्रवेश-स्तर के नियमों को सख्त करना इस आंतरिक जवाबदेही समस्या का समाधान नहीं है।

आगे की राह

- सरकार को FCRA के अंतर्गत पारदर्शी और समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।
- नियामक निगरानी और नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है।
- न्यायिक और संस्थागत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि शक्तियों का मनमाना उपयोग रोका जा सके।

स्रोत: TH

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक

संदर्भ

- संसद ने **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक** पर चर्चा प्रारंभ की।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्देश्य**: अर्धसैनिक अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करना।
- विधेयक पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) — सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), और सशस्त्र सीमा बल (SSB) — में नेतृत्व पदों पर प्रतिनियुक्त आईपीएस अधिकारियों का प्रभुत्व बनाए रखेगा।
- **पद आरक्षण**: विधेयक अतिरिक्त महानिदेशक के 67% पद और महानिरीक्षक के 50% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है।
  - विशेष डीजी और डीजी के पद केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएँगे।
- सरकार का तर्क है कि केंद्र-राज्य संबंध बनाए रखने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आईपीएस अधिकारियों की आवश्यकता है।
- यदि विधेयक पारित होता है, तो यह प्रभावी रूप से सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को निरस्त कर

देगा जिसमें CAPFs में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को क्रमिक रूप से कम करने का निर्देश दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- 2015 में CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों ने न्यायालय का रुख किया और **गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU)**, कैडर समीक्षा, पुनर्गठन तथा भर्ती नियमों में बदलाव की माँग की ताकि आईपीएस प्रतिनियुक्ति समाप्त हो तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) तक आंतरिक पदोन्नति संभव हो सके।
- **संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2025** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
  - CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए "संगठित सेवाएँ" माना जाए।
  - CAPFs में SAG पदों (महानिरीक्षक तक) पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों के अंदर क्रमिक रूप से कम किया जाए।
  - छह माह के भीतर कैडर की समयबद्ध समीक्षा और सेवा नियमों का निर्माण किया जाए।
- **निर्णय का उद्देश्य**: CAPF कैडर अधिकारियों के लिए निष्पक्ष कैरियर प्रगति सुनिश्चित करना और CAPFs में प्रतिनियुक्त आईपीएस अधिकारियों के दीर्घकालिक प्रभुत्व को कम करना।

CAPF की वर्तमान संगठनात्मक संरचना

- CAPFs में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय आईपीएस और CAPF अधिकारियों दोनों का कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है।
  - केंद्र ने कहा है कि आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने और केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- वर्तमान में CAPFs में उप महानिरीक्षक (DIG) के 20% पद और महानिरीक्षक (IG) के 50% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

CAPFs में आईपीएस नियुक्तियों से संबंधित चिंताएँ

- **कैरियर प्रगति में ठहराव**: वरिष्ठ पदों पर उच्च आरक्षण के कारण CAPF कैडर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - औसतन, एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लगते हैं, जबकि आदर्श रूप से यह 13 वर्षों में होना चाहिए।
- **संगठनात्मक अखंडता का उल्लंघन**: आईपीएस अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति CAPFs की संस्थागत स्वायत्तता और उन्हें विशिष्ट बलों के रूप में पेशेवर बनाने की प्रक्रिया को बाधित करती है।
- **प्राकृतिक न्याय और समानता का उल्लंघन**: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (लोक रोजगार में अवसर की समानता) लागू होते हैं, क्योंकि CAPF कैडर अधिकारियों को उनके आईपीएस समकक्षों की तुलना में समान पदोन्नति अवसर नहीं मिलते।

निष्कर्ष

- विधेयक की सफलता संतुलित क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी — अर्थात परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हुए कर्मियों के अधिकारों, मनोबल और कल्याण की रक्षा करना।
- इस संदर्भ में सतत हितधारक परामर्श, पारदर्शिता और सुदृढ़ निगरानी तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

स्रोत: TH

लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक, 2026 पारित

संदर्भ

- वित्त विधेयक, 2026 लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त विधेयक क्या है?

- वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो केंद्र सरकार के कराधान और वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।
- इसे संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वार्षिक रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद पेश किया जाता है।
- इसमें निम्न प्रावधान शामिल होते हैं:
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधान।
  - वर्तमान कर कानूनों में संशोधन।
  - वित्तीय विनियमों और नीतिगत ढाँचे में परिवर्तन।

विधेयक का महत्व

- कर प्रस्तावों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिससे राजस्व एकत्रण सुनिश्चित होता है।
- कर सरलीकरण के माध्यम से व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देता है।
- लक्षित कर उपायों द्वारा निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करता है।
- भारत को राजकोषीय स्थिरता और विकास की दिशा में सुदृढ़ करता है।

यह विनियोग विधेयक से कैसे भिन्न है?

- विनियोग विधेयक संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत की संचित निधि से सरकारी व्यय हेतु धन निकासी को अधिकृत किया जा सके।
- यह केवल उन निधियों के विनियोग से संबंधित होता है जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है तथा अनुच्छेद 114(3) के अंतर्गत आरोपित व्यय।
- इसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यह केवल पहले से अनुमोदित व्यय की स्वीकृति चाहता है।
  - इसे अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदानों की माँग पारित होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
  - वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रमुख कर एवं वित्तीय विशेषताएँ

- **प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन:**
  - डिजिटल अवसंरचना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण।
  - समुद्री उत्पाद, चमड़ा उद्योग और महत्त्वपूर्ण खनिज।
  - परमाणु ऊर्जा और सामरिक क्षेत्र।
- **TCS में कमी:** विदेशी यात्रा पैकेज और शिक्षा व चिकित्सा प्रयोजनों हेतु प्रेषण (LRS के अंतर्गत) पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) घटाकर 2% किया गया।
- **शेयर बाज़ार कर:** वायदा (Futures) पर प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया, जबकि विकल्प (Options) पर दर 0.15% कर दी गई।
- **सीमा शुल्क छूट:** 17 जीवनरक्षक कैंसर दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
- **कॉरपोरेट बायबैक:** सभी शेयर बायबैक को अब पूँजीगत लाभ के रूप में कर योग्य बनाया गया है; प्रवर्तकों पर अतिरिक्त बायबैक कर लगाया गया है।
- **वित्त विधेयक 2026 के सिद्धांत:**
  - विश्वास-आधारित कर प्रशासन।
  - सामान्य नागरिकों के जीवन की सुगमता में सुधार।
  - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना।
  - भारत को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना।
  - व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सुधारों को निर्बाध बनाना।

प्रमुख आर्थिक शब्दावली

- **स्रोत पर कर संग्रह (TCS):** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C के अनुसार, विक्रेता निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री पर खरीदार से कर एकत्रण करता है और इसे सरकार के पास जमा करता है।
- **प्रतिभूति लेन-देन कर (STT):** यह एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री पर लगाया जाता है। इसे 2004 में वित्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। कर का संग्रह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा किया जाता है और सरकार को जमा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के राजकोषीय अनुमान

- **कुल व्यय:** ₹53.47 लाख करोड़, जो विगत वित्त वर्ष की तुलना में 7.7% की वृद्धि दर्शाता है।
- **कुल पूँजीगत व्यय:** ₹12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित।
- **सकल कर राजस्व संग्रह:** ₹44.04 लाख करोड़।
- **सकल उधारी:** ₹17.2 लाख करोड़।
- **राजकोषीय घाटा**: FY27 के लिए GDP का 4.3% अनुमानित, जो वर्तमान वित्त वर्ष के 4.4% से कम है।

स्रोत: AIR

अमेरिकी शोधकर्ता का गेहूँ को लाभकारी बनाने हेतु संकर एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GMO) तकनीक पर विश्वास

संदर्भ

- संकर गेहूँ अब अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो रहा है और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) किस्में आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका में लॉन्च हो सकती हैं।

जीएम फसलें क्या हैं?

- वे फसलें जिनके डीएनए को आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया गया है, **आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलें (GM crops)** कहलाती हैं।
- इस परिवर्तन का उद्देश्य वांछित गुणों को शामिल करना होता है, जैसे:
  - कीट या खरपतवारनाशक प्रतिरोध।
  - पोषण सामग्री में सुधार।
  - उत्पादन में वृद्धि।
- GM फसलें बनाने की प्रक्रिया में शामिल चरण:
  - वांछित गुणों की पहचान।
  - जीन का पृथक्करण।
  - फसल के जीनोम में प्रविष्टि।
  - गुण की अभिव्यक्ति।
- प्रयुक्त तकनीकें: **जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रोइंजेक्शन, एग्रोबैक्टीरियम** आदि।
- संशोधन के प्रकार: **ट्रांसजेनिक, सिस-जेनेटिक, सबजेनिक और बहु-गुण एकीकरण**।
- प्रमुख गुण प्रकार: **खरपतवारनाशक सहनशीलता (HT), कीट प्रतिरोध (IR), संयुक्त गुण (Stacked traits)**।

भारत में जीएम फसलों की स्थिति

- **बीटी कपास**: 2002 में **जीन अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC)** ने बीटी कपास के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी।
  - बीटी कपास में *बैसिलस थुरिंजिएन्सिस (Bt)* नामक जीवाणु से दो बाहरी जीन होते हैं, जो गुलाबी सुंडी जैसे सामान्य कीट के विरुद्ध विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करते हैं।
  - अब तक भारत में यही एकमात्र GM फसल है जिसे अनुमति मिली है।
- अन्य GM फसलें जैसे **बीटी बैंगन** और **DMH-11 सरसों** विभिन्न विकास चरणों में हैं।

भारत में नियामक ढाँचा

- **जीन अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC)**: यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत कार्यरत है और GM फसलों के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है।
- भारत में GM फसलों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अधिनियम एवं नियम:
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)
  - जैव विविधता अधिनियम, 2002
  - पादप संगरोध आदेश, 2003
  - विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत GM नीति
  - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
  - औषधि एवं प्रसाधन नियम (8वाँ संशोधन), 1988

चिंताएँ

- **ग्लाइफोसेट का उपयोग**: क्षेत्रीय परीक्षणों में GM मक्का शामिल है जिसे ग्लाइफोसेट सहनशील बनाया गया है, जबकि यह खरपतवारनाशक पंजाब में प्रतिबंधित है।
- **जैव विविधता जोखिम**: GM फसलें गैर-लक्षित जीवों को प्रभावित कर सकती हैं, एकल फसल प्रणाली (Monoculture) को बढ़ावा देती हैं और स्थानीय किस्मों में जीन प्रवाह कर जैव विविधता को खतरे में डाल सकती हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएँ**: GM फसलों में प्रयुक्त एंटीबायोटिक प्रतिरोधक मार्कर वास्तविक एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं, जिससे एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी सुपरबग का खतरा बढ़ता है।
- **कानूनी असंगतियाँ**: क्षेत्रीय परीक्षणों हेतु *अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC)* जारी करने में पारदर्शिता की कमी पर नागरिक समाज समूहों (जैसे GM-मुक्त भारत के लिए गठबंधन) ने प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक परामर्श, स्वतंत्र समीक्षा और संसदीय निगरानी का अभाव है।

आगे की राह

- **वैज्ञानिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना**: GM फसलों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर स्वतंत्र, सहकर्मी-समीक्षित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। परीक्षण डेटा को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित कर विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ाना।
- **जन सहभागिता को बढ़ावा देना**: किसानों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज के साथ खुले परामर्श आयोजित कर चिंताओं का समाधान करना।
- **स्थानीय किस्मों की रक्षा करना**: बफर ज़ोन और नियंत्रण रणनीतियों के माध्यम से।
- **जैव सुरक्षा एवं नैतिकता समितियों को सशक्त बनाना**: उन्हें अधिक स्वतंत्रता और जवाबदेही प्रदान करना।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

LPG की कमी से बायोगैस का पुनरुत्थान

संदर्भ

- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में शिपिंग बाधित रहने के कारण भारत के कुछ हिस्से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति में कमी के बीच वैकल्पिक ईंधनों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं।

परिचय

- केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य घरेलू एवं वाणिज्यिक रसोईघरों में ईंधन संकट के चलते बायोगैस तथा अन्य स्थानीय ऊर्जा विकल्पों को अपना रहे हैं।
- बायोगैस एक स्वच्छ ईंधन है जो पशु, कृषि, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के अवायवीय अपघटन से उत्पन्न होता है।
- इसका उपयोग जैविक अपशिष्ट, पशु गोबर या सीवेज से विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है।
  - बायोगैस में मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों (हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड) के अंश होते हैं।
  - इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 60% होती है।
- **महत्व:** यह सौर/पवन ऊर्जा के विपरीत एक नवीकरणीय और नियंत्रित ऊर्जा स्रोत है।
  - अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक और किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है।
  - कोयले पर निर्भरता कम करता है और शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाता है।

भारत की LPG आयात स्थिति

- भारत प्रतिवर्ष लगभग 31 मिलियन टन LPG का उपभोग करता है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 13 मिलियन टन है।
- आयात FY12 में लगभग 6 मिलियन टन से FY25 में लगभग 21 मिलियन टन तक बढ़ गया है, जो उपभोग वृद्धि का 93% पूरा करता है।

- इसी अवधि में LPG उपभोक्ताओं की संख्या 2015 में 14.86 करोड़ से बढ़कर 2025 में 33.05 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है।
- भारत लगभग 65% LPG का आयात करता है, जो मुख्यतः पश्चिम एशिया से आता है, जिससे यह भू-राजनीतिक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील है।

स्रोत: DTE

आव्रजन, वीज़ा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT योजना को 31 मार्च से आगे पाँच वर्षों के लिए, 2031 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है।

परिचय

- IVFRT प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीज़ा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को परस्पर जोड़ना तथा अनुकूलित करना है।
- इसे प्रथम बार 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 2014 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था।
- योजना उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर आव्रजन और वीज़ा पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करेगी ताकि यात्री आवागमन निर्बाध और सुरक्षित हो।
- IVFRT प्रणाली ने 100% संपर्करहित और चेहरारहित वीज़ा प्रक्रिया सक्षम की है, जिससे वीज़ा प्रसंस्करण समय तीव्र हुआ है। विगत पाँच वर्षों में 91.24% ई-वीज़ा आवेदन 72 घंटों के अंदर स्वीकृत हुए।
  - आव्रजन चौकियों पर यात्री निकासी का औसत समय पारंपरिक 5-6 मिनट से घटकर 2.5-3 मिनट हो गया है।

स्रोत: TH

PRISM-SG पोर्टल

समाचार में

हाल ही में PRISM-SG पोर्टल राजमार्ग और रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं में समन्वय सुधारने हेतु लॉन्च किया गया।

PRISM-SG क्या है?

- PRISM-SG का अर्थ है रेल-सड़क निरीक्षण एवं चरण प्रबंधन पोर्टल – स्टील गर्डर।
- यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो पुल निर्माण के अनुमोदन और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- विशेष रूप से निम्न निर्माण को कवर करता है:
  - सड़क उपरि पुल (ROBs)
  - रेलवे पुल
- यह पोर्टल सड़क विभागों, भारतीय रेल, ठेकेदारों आदि जैसे सभी प्रमुख हितधारकों को एक ही मंच पर लाता है।

स्रोत: TH

पुनर्नवीनीकृत उड़ान योजना (UDAN) : क्षेत्रीय वायु संपर्क को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ान योजना (UDAN) के संशोधित संस्करण को ₹28,840 करोड़ की कुल लागत के साथ स्वीकृति दी है।
  - यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2035–36 तक 10 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी।

उड़ान योजना के बारे में

- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था ताकि हवाई यात्रा सुलभ और व्यापक हो सके।
- इसका उद्देश्य भारत के अप्रयुक्त और अल्प-सेवित हवाई अड्डों को सब्सिडी वाले किराए तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से जोड़ना है।
- यह एक बाज़ार-आधारित तंत्र पर कार्य करती है, जहाँ एयरलाइंस *व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण(VGF)* के समर्थन से मार्गों के लिए बोली लगाती हैं।
- फरवरी 2026 तक, कुल 663 मार्ग 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और जल एयरोड्रोम्स पर परिचालित किए गए हैं, जिनमें 3.41 लाख उड़ानों ने 162.47 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है।

संशोधित उड़ान योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- सरकार आगामी आठ वर्षों में ₹12,159 करोड़ की पूँजीगत लागत से अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 नए हवाई अड्डों का विकास करेगी।
- स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन वर्षों तक समर्थन दिया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ₹2,577 करोड़ होगी तथा यह लगभग 441 सुविधाओं को कवर करेगा।
- इसके अतिरिक्त, दूरस्थ, पहाड़ी, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों में अंतिम-मील संपर्क सुधारने हेतु ₹3,661 करोड़ की लागत से 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित किए जाएँगे।

स्रोत: DD News

प्रतिपदार्थ (Antimatter)

संदर्भ

- CERN के वैज्ञानिकों ने प्रथम बार प्रतिप्रोटॉनों का सड़क मार्ग से परिवहन सफलतापूर्वक किया है, जो प्रतिपदार्थ अनुसंधान और प्रायोगिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रतिपदार्थ(Antimatter) क्या है?

- प्रतिपदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो प्रतिकणों (जैसे पॉज़िट्रॉन और प्रतिप्रोटॉन) से बना होता है। इनका द्रव्यमान सामान्य पदार्थ के समान होता है, लेकिन विद्युत आवेश और चुंबकीय आघूर्ण विपरीत होता है।
- **संरचना:** प्रतिपरमाणु (Anti-atoms) प्रतिप्रोटॉन और प्रतिन्यूट्रॉन से बने नाभिक में परिक्रमा करते पॉज़िट्रॉनों (प्रतिईलेक्ट्रॉनों) से निर्मित होते हैं।
- परस्पर क्रिया: पदार्थ और प्रतिपदार्थ भौतिक रूप से समान होते हुए भी सह-अस्तित्व नहीं रख सकते। इनके संपर्क से तीव्र विनाश (Annihilation) होता है, जिससे गामा किरणें उत्पन्न होती हैं।

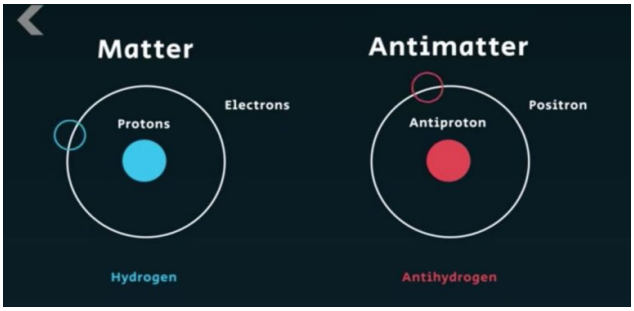

CERN के बारे में

- CERN (परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय परिषद) विश्व का सबसे बड़ा कण भौतिकी प्रयोगशाला है, जो जिनेवा के निकट फ्रांको-स्विस सीमा पर स्थित है।
- इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह *लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर(LHC)* सहित जटिल त्वरकों का उपयोग कर पदार्थ के मौलिक घटकों का अध्ययन करता है।
- **प्रमुख खोजें**: हिग्स बोसॉन (2012), W और Z बोसॉन (1983), तथा प्रथम प्रतिहाइड्रोजन परमाणु (1995)।

स्रोत: TH

सरस्वती सम्मान 2025

संदर्भ

- लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय की बंगाली उपन्यास *हरा पार्वती कथा* को सरस्वती सम्मान, 2025 के लिए चुना गया है।

परिचय

- सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
- यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और विगत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कार विजेता को ₹15 लाख की राशि, प्रशस्ति-पत्र और पट्टिका प्रदान की जाएगी।

स्रोत: AIR

■■■■